

महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन

प्रीलिमिन्स के लिये:

शॉर्ट सर्विस कमीशन

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेना में शामिल 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (Short Service Commission-SSC) महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन' (Permanent commission) देने के मामले में सरकार को आदेश लागू करने के लिये एक महीने की समय-सीमा दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के कारण भारतीय सेना में महिलाओं को 'स्थायी कमीशन' (Permanent commission) देने तथा कमांड पोस्ट में उनकी तैनाती के संबंध में प्रावधान तैयार करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई है।
- इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को एक माह का और समय दिया गया है।

स्थायी कमीशन:

- अभी तक सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है।
- शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती होने के बाद वो 14 साल तक सेना में नौकरी करती थीं।
- 14 वर्ष के बाद उन्हें रटायर कर दिया जाता था।
- सेना में पेशान पाने के लिये 20 वर्ष तक नौकरी पूरी करने का नियम है।
- स्थायी कमीशन के तहत कोई अधिकारी रटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का हकदार भी होगा।
- स्थायी कमीशन से महिला अधिकारी 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है।

पृष्ठभूमि:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में सरकार को आदेश दिया था कि महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों से बाहर रखने के नीतगित फैसले को बरकरार रखते हुए सभी शॉर्ट-सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए।
- 17 फरवरी 2020 में सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह कहकर याचिका दायर की गई थी कि महिलाएँ शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं।
- 17 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिणय दिया गया कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस वकिलप को चुनना चाहती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारी सेना में स्थायी आयोग और कमांड पदों के लिये योग्य हैं, चाहे उनकी सर्विस की समयावधि कतिनी भी हो।

नरिणय का संवैधानिक आधार:

- न्यायालय के अनुसार, महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन तक सीमिति रखना अर्थात स्थायी कमीशन न देना संवैधानिक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, जो कि देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।

सीमाएँ:

- सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का यह नरिणय कॉम्बैट वगि में लागू नहीं कथिा जाएगा ।
- सेना में कॉम्बैट वगि वो वगि होता है जो युद्ध के दौरान फ्रंटफुट पर होता है ।

नरिणय का महत्त्व:

- महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करना देश में वदियमान लैंगकि असमानता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबति हो सकता है ।
- इससे महिलाओं को उनकी उचति स्थति और अधिकार प्राप्त करने में मदद मलिगी
- जो सामाजकि पदानुक्रम में उनकी स्थतिको बढ़ाने में मददगार साबति होगा ।
- यह नरिणय सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी/संख्या को बढ़ाने में मददगार साबति हो सकता है ।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/permanent-commission>

